

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21/9 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक 9/6/23 को पेश हो
Ray

09/06/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्थी उपस्थित।
सूत्र बाद Note Press दिया जा चुका है। इस कारण
पत्रावली में आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के
बावजूद प्र.पत्र इसी स्तर पर ट्रोप दिया जाकर
न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2020 को जारी अस्थायी
निर्देशानुसार खारिज की जाती है। पत्रावली
निर्दिष्ट शुमार होकर एवम् दायित्व एवं बन्कर
से कम हो।

उप खण्ड अधिकाारी
वीपलू (टॉक)